

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक  
एवं जिला कलक्टर, झुंझुनूं



क्रमांक:-सामा0अंके0/2022-23/5072-74

दिनांक:-12.10.2022

संशोधित विज्ञप्ति

महात्मा गांधी नरेगा योजनासन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4904-09 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिसमें श्रीमान निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा एवं जवाबदेही पारदर्शिता सोसायटी जयपुर के पत्रांक 9729-33 दिनांक 07.10.2022 जारी संशोधित दिशा निर्देशों के क्रम में सामाजिक लेखा परीक्षा एवं जवाबदेही पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिये ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिये ग्रामीण विभाग(MoRD) भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश/ अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय(मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिये चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ई-मेल आईडी socialauditjijn@gmail.com के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online applications) आमंत्रित किये जाते हैं:-


**1. सेवाओं के लिये मुख्य शर्तों का सारांश:-**

क्र.स.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	56	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक/कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र(RSCIT)	21-64 वर्ष अधिकृतमें	31.10.2022

**2. आवेदन हेतु दिशा निर्देश:-**

- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 02/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाईन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी कर जिला कार्यक्रम समन्वयक की ई-मेल socialauditjijn@gmail.com पर आवेदन पत्र लिये जायेंगे।
- सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र(Online application form) में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व जिले की वेबसाईट www.jhunjhunu.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुये ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गयी है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे, क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटी को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

**3. परीक्षा शुल्क-** आवेदक द्वारा 100/- रू0 SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा जयपुर (IFSC code SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में Director, SSAAT के नाम से जमा करवाये तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ई-मेल पर भिजवाये। अनुसूचित



राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक  
एवं जिला कलक्टर, झुझुनु



जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदको को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट देय होगी।

**4. पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें:-**


सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ61(21) SSAAT /नियमावली/23019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की के अनुसार ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक /प्रशैक्षणिक /तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार है, जिनके लिये सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिये निम्न लिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक है।

1. शैक्षणिक योग्यता-पुरुष एवं महिला वर्ग के लिये स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. प्रशैक्षणिक /तकनीकी योग्यता- RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी /कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा /डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु-आवेदन की अन्तिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिए।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे।
6. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।

**5. चयन प्रक्रिया:-**

1. उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिये निम्न लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।  
(क) उपरोक्त विन्दु संख्या 4(1)(2) एवं (3) के लिये संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक /प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिका, प्रमाण पत्र।  
(ख) विन्दु संख्या 4(5) के लिये स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र  
(ग) विन्दु संख्या 4(6) के लिये राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।  
(घ) विन्दु संख्या 4(4) के लिये सामाजिक क्षेत्र कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं /सिविल सोसायटी संगठनों /इस कार्य में लगे हुये अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिये उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
2. आवेदनकर्ता के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदको की संख्या (पदों की संख्या से तीन गुणा से कम ) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदको की वरीयता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी।
4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
5. आवेदन कर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जावेगा।
6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।



राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक  
एवं जिला कलक्टर, झुंझुनू



7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिक)चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण /रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जावेगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक की ई-मेल socialauditjn@gmail.com पर ऑनलाईन प्राप्त किया जायेगा।

**6.ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि:-**

ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2022 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक की ई-मेल socialauditjn@gmail.com पर भरे जायेंगे।

**7.मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों /प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-**

1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मता के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता,अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
2. दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। तथा इसके पश्चात ही अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुये कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते हैं, वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।


8.ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित है,वे पूर्णता अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने वाबत कोई अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी /संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिये नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रु के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्यों कि ये सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं एवं मासिक संविदा आधारित हैं।

9.कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिये। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।

10.उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने,कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सह अध्यक्ष कार्यकार समिति को (EC)SSAAT प्राप्त होंगे।

11.विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल जिला न्यायालय झुंझुनू होंगे।

12.आवेदन पत्र पत्र 212/2022 जेन एन पीटीएफ फाइल में ई-मेल पर लौका(603) (अभिलेख संख्या 5 नं 8 के अंतर्गत न ही)

  
(लक्ष्मण सिंह कुडी)  
जिला कार्यक्रम समन्वयक  
एवं जिला कलक्टर झुंझुनू



राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक  
एवं जिला कलक्टर, झुझुनु



क्रमांक:-सामा0अके0 / 2022-23 / 5072-74

दिनांक:- 12.10.2022

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर।
2. उपनिदेशक एसीपी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग झुझुनु को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण एवं आवेदन का प्रारूप जिला झुझुनु की वेबसाइट पर अपलोड करे। जिले की वेबसाइट पर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन का प्रारूप हेतु मेनुबार में ऑनलाईन एप्लीकेशन के नाम से सृजित करें। ऑनलाईन एप्लीकेशन मेनु में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन का प्रारूप पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करे, जिससे अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सके। ऑनलाईन एप्लीकेशन मेनु में नवसृजित ई-मेल [socialauditijn@gmail.com](mailto:socialauditijn@gmail.com) भी लिखे।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, झुझुनु

जिला \_\_\_\_\_

आवेदन पत्र का प्रारूप

**ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप**

आवेदक का नाम \_\_\_\_\_ जन्म की तारीख \_\_\_\_\_ आयु (दिनांक \_\_\_\_\_ 10.2022 को) वर्ष \_\_\_\_\_ मारा \_\_\_\_\_

पिता/पति का नाम \_\_\_\_\_ माता का नाम \_\_\_\_\_ विवाहिक स्थिति \_\_\_\_\_ वर्ग \_\_\_\_\_ विशेष वर्ग \_\_\_\_\_

वार्षिक पारिवारिक आय \_\_\_\_\_ गोबाईल नंबर \_\_\_\_\_ वैकल्पिक मोबाईल नंबर \_\_\_\_\_

ई-मेल \_\_\_\_\_ स्थाई पता \_\_\_\_\_ गाँव का नाम \_\_\_\_\_ ग्राम पंचायत का नाम \_\_\_\_\_

पंचायत समिति का नाम \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ आधार नंबर \_\_\_\_\_

पत्राचार का पता \_\_\_\_\_

**शैक्षणिक योग्यता**

कस	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	रोल नंबर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

**तकनीकी योग्यता**

कस	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	अनुक्रमांक	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	RSCIT								
2	Degree/ Diploma								
3.									

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ हैं ? \_\_\_\_\_ हों / नहीं

क्या आपने कभी निम्नलिखित के साथ काम किया है/अनुभव : \_\_\_\_\_ हों / नहीं

यदि हों तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

कस	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्ता मासिक वेतन	कर्तव्य की प्रकृति
1.	ग्राम विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग					
2.	सांसाजिक अर्थोक्षण					
3.	गैर सरकारी संगठन					

**विचारभेद / आपराधिक मामलों का विवरण**

क्या किसी बोर्ड / लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता / भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिए बर्जित किया है। \_\_\_\_\_ हों / नहीं

क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए सजा हुई है। \_\_\_\_\_ हों / नहीं

दिनांक \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर